न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 43 / 2022 **दायर दिनांकः 11.04.2022**

उनवान

1. शुभम शर्मा आयु 25 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति ब्राह्मण निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. देवकिशन आयु 47 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लाड बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि रामावतार जाति ब्राहमण निवासी हाल कोटडी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा कोटा जिल कोटा राज0।
3. ललिता बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि दयाकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।
4. इन्द्रा बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि राजकपूर जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां राज0।
5. मंजू बाई पुत्री भैरूलाल पतिन बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
6. राजेश्वरी पुत्री भैरूलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 बी–66 आर.के.पुरम कोटा जिला कोटा राज0।
7. निर्मला पुत्री भैरूलाल पत्नि सत्येन्द्र कुमार तिवारी जाति ब्रहमण निवासी मकान नं0 1060 बसन्त बिहार तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
8. गीता बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि योगेन्द्र तिवारी जाति ब्राहमण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
9. परमेश्वर पुत्र महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 ए–812 आर.के पुरम कोटा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
11. राकेश पुत्र महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 ए–812 आर.के पुरम कोटा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।

12. सागर तिवारी पुत्र हेमन्त तिवारी जाति ब्राहमण निवाी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां राज0।

14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री कन्नूप्रिय सुमन।

निर्णय **दिनांक 08/06/2022**

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां में खातेदार भैरूलाल पुत्र मंगला जाति ब्राहमण निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू की स्वयं की आय से अर्जित सम्पत्ति आराजी खाता संख्या 172 का ख0नं0 196/1440 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 197 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 48 का रकबा 5.38 है0, ख0नं0 590/1332 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 591/1343 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 691 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 693 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 694 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 राजस्व रिकार्ड दर्ज खाता स्थित थी और है। वाद पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी सवंत 2073–2076 पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी के खातेदार भैरू पुत्र मंगला का स्वर्गवास हो चुका है उसके वैध वारिसान का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

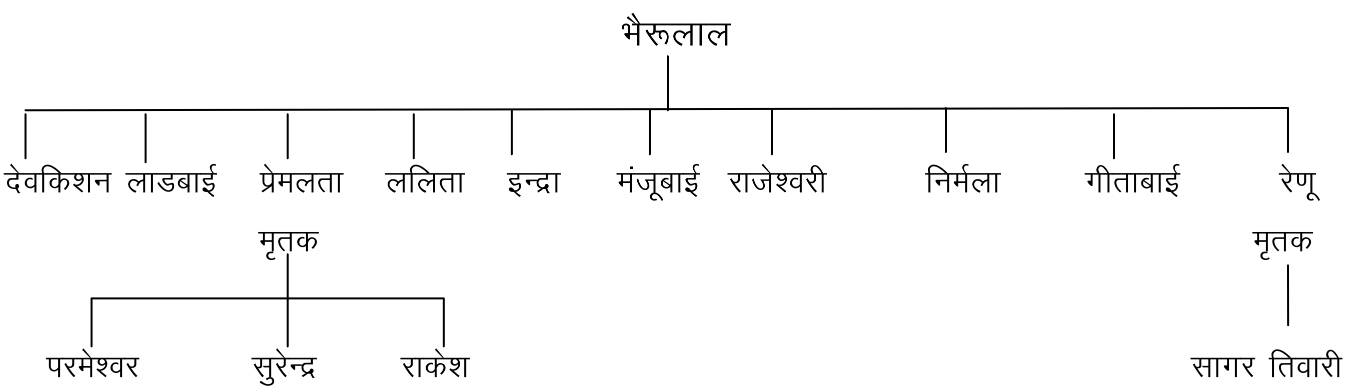

खातेदार भैरू पुत्र मंगला मृतक के वारिसान उपरोक्त सजरे के अनुसार देवकिशन पुत्र एवं पुत्रियां लाड बाई, प्रेमलता, ललिता बाई, इन्द्रा बाई, मंजू बाई, राजेश्वरी, निर्मला बाई, गीता बाई, तथा रेणु वैध वारिस है जिसमें से पुत्री प्रेमलता एवं रेणु का स्वर्गवास हो चुका है। प्रेमलता के वारिस परमेश्वर, सुरेन्द्र और राकेश है तथा रेणु का एक मात्र वारिस सागर तिवारी है। खातेदार भैरू पुत्र मंगला अपने पुत्र देवकिशन के पास ही निवास करता था और देवकिशन के एक मात्र पुत्र वादी शुभम शर्मा है। खातेदार भैरू पुत्र मंगला की वृद्धावस्था में अवैर सवैर, इलाज, खाना, कपडा इत्यादि की व्यवस्था एवं सेवा सुश्रुवा वादी ही करता चला आ रहा था और वादी की सेवा सुश्रुवा से प्रसन्न होकर खातेदार भैरू पुत्र मंगला ने अपनी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति आराजी का वसीयत नामा अपने जीवनकाल में दिनांक 07.10.2019 को रूबरू गवाहान ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण एवं मलखान सिंह पुत्र हरलाल के सामने बिना किसी दाव दबवाब के पूर्ण होश हवास में सोच समझकर स्वच्छ चित में स्वेच्छापूर्वक बहक वादी निष्पादित करवा गया था। वसीयत नाम दिनांक 07.10.2019 पर वसीयतकर्ता भैरू पुत्र मंगला के हस्ताक्षर है जो गवाहन की मौजूदगी में स्वेच्छा पूर्वक हस्ताक्षर किये गये थे। वसीयतकर्ता खातेदार भैरू पुत्र मंगला द्वारा निष्पादित वसीयत नाम बहक वादी से उसके अन्‍ सभी वारिसान पूर्णत सहमत थे तथा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी को वादी ही खातेदार भैरू के जीवनकाल से ही काश्त करता चला आ रहा है। वसीयतकर्ता खातेदार भैरू पुत्र मंगला का दिनांक 07.11.2019 को अपने पैतृक निवास ग्राम खरखडा रामलोथान में स्वर्गवास हो चुका है। वसीयतकर्ता भैरू पुत्र मंगला का स्वर्गवास होने के उपरान्त हिन्दु रिति रिवाजानुसार भैरू पुत्र मंगला का दाह संस्कार एवं अस्थिया हरिद्वार में डालने एवं समस्त कियाकम वादी द्वारा किये गये था और समाज के पंचों एवं गांव के व्यक्तियों ने मृतक भैरू पुत्र मंगला की पगडी भी रश्मानुसार वादी के बंधवायी थी। खातेदार भैरू पुत्र मंगला का दिनांक 07.11.2019 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके जीवनकाल में निष्पादित वसीयत 07.10.2019 वादी के पक्ष में लागू हो चुकी थी। इस वजह से वादी वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी को वसीयत नामा दिनांक 07.10.2019 के आधार पर अपने नाम खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। खातेदार भैरू पुत्र मंगला का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू प्रतिवादी कम 14 के कार्यालय में नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु दिनांक 17.10.2021 को आवेदन पेश किया था लेकिन प्रतिवादी कम 14 द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 17.10.2021 को प्रतिवादी कम 14 तहसीलदार अटरू के यहां पर नामान्तकरण खुलवाने का आवेदन पेश करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25.03.2022 को नामान्तकरण खोलने से इन्कार कर दिया तथा न्यायालय में

वाद पेश करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 मियादी दो माह प्रेषित करवा दिया गया है लेकिन खातेदार भैरू पुत्र मंगला की मृत्यु हो जाने के बाद वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी मृतक भैरूलाल की पुत्रियां कब्जा करने पर आमादा हो रही है। यदि दो माह अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान उन्होने आराजी पर कब्जा कर लिया गया तो बाद में वादी द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि दो माह समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 के साथ वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादी को वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुये वादी के वाद की नियमित सुनवाई की जावे। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशयक की पारित की जावे किः–

(अ) वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां की कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है. पर वासीयत नामा दिनांक 07.10.2019 के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खाता दर्ज की जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 25.05.2022 पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है।

वाद पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 11 स्वीकार है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन करते है कि वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां की कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 पर वसीयत नामा के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार दिये जावे। भैरूलाल वसीयतकर्ता का स्वर्गवास हुये 3 वर्ष हो चुके है।

3. वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ल 12 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा दिनांक 25.05.2022 पेश कर कथन किया गया कि वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 एक ही परिवार के है जिनके बीच में वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी खाता संख्या 172 का कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 माल खरखडा रामलोथान बाबत कोई विवाद नहीं है। भैरूलाल द्वारा शुभम के पक्ष में वसीयत नामा लिखा है वह सही है वसीयत नामा के आधार पर माल खरखडा रामलोथान की आराजी खाता संख्या 172 का ख0नं0 196/1440 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 197 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 48 का रकबा 5.38 है0, ख0नं0 590/1332 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 591/1343 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 691 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 693 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 694 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 आराजीयात वसीयत नामा दिनांक 07.10.2019 के मुताबिक आराजी वादी शुभम के दर्ज खाता की जावे। इसी बात का राजीनामा हम वादी के पक्ष में पेश करते है।

4. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया । जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री मोहनलाल सुमन एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 की पहचान श्री कन्नूप्रिय सुमन एड0 द्वारा की गई जो तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान की आराजी खाता संख्या 172 का ख0नं0 196/1440 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 197 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 48 का रकबा 5.38 है0, ख0नं0 590/1332 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 591/1343 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 691 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 693 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 694 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 आराजी भैरू पुत्र मंगला के दर्ज खाता स्थित है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–1) अनुसार खातेदार भेरू लाल

पुत्र मंगला की दिनांक 07.11.2019 को मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत खरखडारामलोथान द्वारा दिनांक 16.12.2019 को जारी वारिस प्रमाण पत्र (मार्क ए) के अनुसार खातेदार भैरूलाल के कुल 9 वारिस लाडबाई, प्रेमलता, ललिताबाई, इन्द्राबाई, मंजूबाई, राजेश्वरी, निर्मला, गीताबाई, देवकिशन शर्मा बताये गये है। प्रतिवादीगण ने उक्त वारीसान दस्तावेज को राजीनामा पेश करते समय स्वीकार किया गया। अतः उक्त वारीसान प्रमाण पत्र को साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। खातेदार भैरूलाल पुत्र मंगला द्वारा अपने जीवन काल में 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर वसीयत नामा (मार्क बी) लिखवाया गया था जिसके अनुसार खाता संख्या 172 पुरानी खाता संख्या 162 की कुल किता 9 की 6.26 है0 आराजी को अपने पौत्र शुभम शर्मा पुत्र देवकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खरखडारामलोथान के पक्ष में वसीयत नाम लिखवाया गया था। उक्त वसीयतनामा को प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर हुबहू स्वीकार किया गया। अतः उक्त दस्तावेज को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वितीय चैप्टर के अधीन साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है।

अतः वसीयतनामा दिनांक 07.10.2019, इकबाली जवाब एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान की आराजी खाता संख्या 172 का ख0नं0 196/1440 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 197 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 48 का रकबा 5.38 है0, ख0नं0 590/1332 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 591/1343 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 691 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 693 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 694 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 आराजी पर वादी शुभम शर्मा पुत्र देवकिशन शर्मा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **08.06.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 43/2022

उनवान

1. शुभम शर्मा आयु 25 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति ब्राह्मण निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. देवकिशन आयु 47 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लाड बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि रामावतार जाति ब्राहमण निवासी हाल कोटडी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा कोटा जिल कोटा राज0।
3. ललिता बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि दयाकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।
4. इन्द्रा बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि राजकपूर जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां राज0।
5. मंजू बाई पुत्री भैरूलाल पतिन बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
6. राजेश्वरी पुत्री भैरूलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 बी–66 आर.के.पुरम कोटा जिला कोटा राज0।
7. निर्मला पुत्री भैरूलाल पत्नि सत्येन्द्र कुमार तिवारी जाति ब्रहमण निवासी मकान नं0 1060 बसन्त बिहार तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
8. गीता बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि योगेन्द्र तिवारी जाति ब्राहमण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
9. परमेश्वर पुत्र महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 ए–812 आर.के पुरम कोटा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
11. राकेश पुत्र महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 ए–812 आर.के पुरम कोटा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
12. सागर तिवारी पुत्र हेमन्त तिवारी जाति ब्राहमण निवी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां राज0।
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री कन्नूप्रिय सुमन।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..........

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान की आराजी खाता संख्या 172 का ख0नं0 196/1440 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 197 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 48 का

रकबा 5.38 है0, ख0नं0 590/1332 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 591/1343 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 का रकबा 0. 31 है0, ख0नं0 691 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 693 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 694 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.26 है0 आराजी पर वादी शुभम शर्मा पुत्र देवकिशन शर्मा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08.06.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)